

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 350 / 2025

1. हरबंशसिंह पुत्र दयालसिंह जाति जटसिख निवासी चाहूवाली तहसाल टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

वादी

बनाम्

1. दर्शनसिंह  
2. रामसिंह  
3. सुखदेवसिंह  
4. परमिन्द्र सिंह  
5. कुलजिन्द्र कौर पत्नी सतपाल सिंह  
6. हरलीन कौर पुत्री सतपाल सिंह  
7. नाबालिग विराज सिंह पुत्र सतपाल सिंह  
8. गुरसेवक सिंह (गुरदेवसिंह) पुत्र दयाल सिंह
- पि0 दयाल सिंह जाति जटसिख निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
- जाति जटसिख निवासीयान चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
- जाति जटसिख निवासी चाहूवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

दिनांक 17/3/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री करनैलसिंह व प्रतिवादी वकील सुभाष गर्ग अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:-चक न0 चकन0 8 आर डबल्यू डी ए के खाता सं0 40/34 में से प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 का नाम से दर्ज आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक न0 चकन0 8 आर डबल्यू डी ए के खाता सं0 40/34 में से प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सत्यनारायण  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर  
R.A.S  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।